रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 484] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 26, 2012/आश्विन 4, 1934

No. 484] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 2012/ASVINA 4, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 720(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग') भर्ती नियम, 1989 जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी III से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण में अवर श्रेणी लिपिक श्रेणी II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, अवर श्रेणी लिपिक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वें होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अवर श्रेणी लिपिक	72* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200रू.) + ग्रेड वेतन 1900रू.	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापनानुसार होगी ।	1. मान्यताप्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य । 2. कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट । (समय सीमा- 10 मिनट) श्रुतलेख : 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट, प्रत्येक शब्द के लिए 5की डिप्रेशंस की औसत से 10500 केडीपीएच/9000केडीपीएच के सदृश है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
हां, स्तंभ 10 में उपदर्शित सीमा तक	दो वर्ष	(i) पचासी प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । (ii) दस प्रतिशत रिक्तियां विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर 1800रु. के ग्रेड वेतन वाले ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों से भरी जाएगी किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास या समतुल्य हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है । [उक्त परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष)] (iii) पांच प्रतिशत रिक्तियां ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर भरी जाएगी जो किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन पास या समतुल्य है और जिन्होंने 1800रु. ग्रेड वेतन वाले पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है । टिप्पण : यदि उक्त परीक्षा में खंड (ii) में अर्हित कर्मचारियों की संख्या रिक्तियां की संख्या से अधिक है तो ऐसे अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर, पश्चात्वर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा जिससे पहले की परीक्षा में अर्हित होने वाले कर्मचारियों पर बाद की परीक्षा में अर्हित कर्मचारियों के पहले विचार किया जाए ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
स्तंभ 10 में यथावर्णित	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, - अध्यक्ष ; 2. कार्यालय प्रधान, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य ; 3. कार्यालय प्रधान, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य । समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण - अध्यक्ष ; 2. कार्यालय प्रधान, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य ; 3. कार्यालय प्रधान, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य ।	लागू नहीं होता

[फा. सं. 01-08/2011-सीएसबी]

बी. एम. एस. राठोड़, संयुक्त सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2012

G.S.R. 720(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Lower Division Clerk-Group 'C') Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, Lower Division Clerk, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings**. —Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

3664 GI/12-2

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
1	2	3	4	5
Lower Division Clerk.	72* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non–Gazetted, Ministerial.	Pay band-1: Rs. 5200-20200 plus grade pay - Rs.1900.	Non-selection.
Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).	1. 12^{th} class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University. 2. A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (Time allowed – 10 minutes). (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500	Yes, to the extent indicated in column 10.	Two years.	(i) Eighty-five per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) Ten per cent. of vacancies shall be filled on the basis of Departmental Qualifying Examination from amongst the Group 'C' employees in the grade pay of Rs.1800 who possess 12th class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University and have rendered three years regular service in the grade.

Note: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).			[The maximum age limit for eligibility for the said Examination shall be 45 years (50 years of age for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes)]. (iii) Five per cent. of the vacancies shall be filled on the basis of seniority-cum-fitness from Group 'C' employees who possess Matriculation from a recognised Board or equivalent qualifications and have rendered three years regular service in posts with the grade pay of Rs. 1800. **Note.** If more of such employees than the number of vacancies are available under clause (ii) above qualified at the aforesaid Examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier Examination are considered before those who qualify at a later Examination.

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
As stated in column 10.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director, Botanical Survey of India – Chairman; 2. Head of Office, Botanical Survey of India – Member; 3. Head of Office, Zoological Survey of India -Member. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Botanical Survey of India – Chairman; 2. Head of Office, Botanical Survey of India – Member; 3. Head of Office, Zoological Survey of India –Member.	Not applicable.

[F. No. 01/08/2011-CSB]

B. M. S. Rathore, Jt. Secy.(Conservation and Survey)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.